

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
विशेष कार्याधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशाली अधिकारी,
नगर पंचायत,
नगराम जनपद लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ दिनांक 22 फरवरी, 2017

विषय- वित्तीय वर्ष 2016-17 में 'नगरीय सड़क सुधार योजना' के अन्तर्गत पांचवी किशत की धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-मेमो/न0पं0न/न0स0न0वि0यो0/2014-15 दिनांक 22.12.2017 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में 'नगरीय सड़क सुधार योजना' के अन्तर्गत विभिन्न निकायों को विभिन्न शासनादेशों द्वारा सड़क सुधार हेतु सड़कों के निर्माण के लिए उनके द्वारा प्रस्तावित कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए प्रथम किशत की धनराशि अवमुक्त की गयी है। संदर्भित निकाय द्वारा प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चौथी किशत की धनराशि का उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराते हुए प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अवशेष धनराशि अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है। अतः नगर पंचायत, नगराम-लखनऊ को उनके अनुरोध के क्रम में वित्तीय वर्ष 2016-17 में चालू कार्यों हेतु पांचवी/आगामी किशत के रूप में कुल रु. 18.69 लाख (रु. अटठारह उनहत्तर हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(धनराशि लाख रु. में)

क्र.सं.	जिले का नाम	नागर निकाय का नाम	निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति का शासनादेश एवं दिनांक	निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	लखनऊ	नगर पंचायत, नगराम	1.22/2015/1314/नौ-5-2015-205 बजट/2014 दिनांक 21फरवरी, 2015 2.162/2015/3268/नौ-5-2015-152 बजट/2015 दिनांक 28 मई, 2015 3.59/2016/742/नौ-5-2016-38बजट/2016 दि.28.03.2016 4.144/2016/1584/नौ-5-2016-83बजट/2016 दिनांक 20.05.2016	215.10	43.00 43.00 40.00 50.10	18.69
			योग			18.69

(रु0 अटठारह लाख उनहत्तर हजार मात्र)

- (1) स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल संबंधित जनपद के मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे संबंधित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निकायों के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। यह कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर

सम्पादित की जायेगी तथा निकाय द्वारा बीजक प्रस्तुत किये जाने की तिथि से तीन दिवस के अन्दर धनराशि निकाय के खाते में अन्तरित कर दी जायेगी।

- (2) उक्त के अतिरिक्त आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/पी.एल.ए./डिपॉजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।
- (3) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद एवं निदेशक, स्थानीय निकाय/शासन को संबंधित निकाय द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
- (4) वित्तीय मामलों में संबंधित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को दे दी जाय।
- (5) प्रश्नगत निकायों को जिन शासनादेशों के माध्यम से प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त की गयी है, उन शासनादेशों में उल्लिखित शर्तें यथावत रहेगीं।
- (6) अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 31.03.2017 तक भेजना अनिवार्य होगा।

2. स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत '2217-शहरी विकास-80-सामान्य-193-नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य निकायों को सहायता-04-30प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय-0401-नगरीय सड़क सुधार योजना-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन एवं उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

C/c

भवदीय,

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।

संख्या-54/2017/96(1)/नौ-5-2017-83बजट/2016, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार, उ.प्र. इलाहाबाद।
- 2- मण्डलायुक्त, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
- 4- कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 5- निदेशक, स्थानीय निकाय/स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ.प्र. लखनऊ/इलाहाबाद।
- 6- अध्यक्ष, नगर पंचायत, नगराम-लखनऊ।
- 7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
- 8- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल/सुपर यूजर, नगर विकास विभाग को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

C/c

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2016-2017
आवंटन दिनांक-22/02/2017


प्रेषण संख्या:- 54
आवंटन आदेश संख्या:- 001-54-2017-96-9-5-2017-83B-2016
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2016-2017 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2217 - शहरी विकास(आयोजनागत-मतदेय)
80 - सामान्य
193 - नगर पंचायतों / अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके
04 - उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय
01 - नगरीय सड़क सुधार योजना

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4183-जिलाधिकारी ; --01--	वर्तमान प्रगामी	1869000 13879000	1869000 13879000
	योग	वर्तमान प्रगामी	1869000 13879000	1869000 13879000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया अठारह लाख उनहत्तर हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक करोड़ अड़तीस लाख उन्नासी हजार


(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी